विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड
नई दिल्ली

परिषद में

कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों, सर्वर और

नेटवर्क उपकरण के

वार्षिक रखरखाव अनुबंध

के लिए

ई - निविदा आमंत्रण सूचना

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो व्यापक रूप से दुनिया भर में संस्थागत भागीदारों के साथ वर्तमान और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अनुसंधान और सम्मेलनों के लिए जाना जाता है। परिषद् में कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों, सर्वर और नेटवर्क

उपकरण के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रदान करने के लिए एजेंसी के चयन के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं।

सामान्य नियम और शर्तें:

1. कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि 29-06-2021 होगी। आईसीडब्ल्यूए असाधारण परिस्थितियों में और अपने विवेकाधिकार पर उचित नोटिस जारी करके कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकती है। ऐसा विस्तार, यदि कोई हो, आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और सभी पर लागू होगा।

2. फर्मों को दो-बोली प्रणाली में अपने कोटेशन जमा करनी होगी:

(i) तकनीकी बोली

(ii) वित्तीय बोली

फर्म दो लिंक्ड और सीलबंद लिफाफा प्रस्तुत कर सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक पर "**कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों, सर्वर और नेटवर्क उपकरण के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध**" लिखा होगा। सीलबंद लिफाफों के निचले बाएं कोने पर फर्म का पूरा नाम, डाक का पता,दूरभाष नं., फ़ैक्स नं., ई-मेल पता लिखा होना चाहिए। इस तरह के सीलबंद कोटेशन कार्यालय समयके दौरान निम्नलिखित पते पर प्राप्त होंगे:

उप महानिदेशक
विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड
नई दिल्ली-110011

3. कोटेशन पंजीकृत डाक / कूरियर सेवा द्वारा या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जा सकती है, ताकि निर्धारित अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले आईसीडब्ल्यूए तक पहुंच जाए।

4. पहले तकनीकी बोलियां खोली जानी हैं और उनका मूल्यांकन किया जाना है। वित्तीय बोलियां केवल तकनीकी बोलियों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं की ही खोली जाएंगी।

5. प्रदान किया गया अनुबंध कार्य आदेश देने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि आपसी सहमति से बढ़ाया न जाए, या किसी भी कारण से आईसीडब्ल्यूए द्वारा रद्द न किया जाए।

6. फर्म/एजेंसी द्वारा तिमाही आधार पर आईसीडब्ल्यूए को बिल प्रस्तुत किए जाएंगे। बिलों का भुगतान अकाउंट पेयी चेक द्वारा ही किया जाएगा।

7. बोली जेमवेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है, क्योंकि यह जेमवेबपोर्टल पर भी प्रकाशित होती है।

<u>अतिरिक्त नियम और शर्तें</u>

1.1 वर्तमान में सभी कंप्यूटर और बाह्य उपकरण एएमसी अनुबंध के अंतर्गत विश्व मामलों कीभारतीय परिषद, सप्रू हाउस, नई दिल्ली में स्थापित हैं।

1.2 वार्षिक अनुरक्षण संविदा को संविदा अवधि समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से एक और वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

1.3 यदि फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो फर्म को एक माह का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। फर्म द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन के संबंध में एकमात्र निर्णय का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास है।

1.4 सिस्टम को सही काम करने की स्थिति में रखने के लिए फर्म समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित व्यापक रखरखाव सेवाएं प्रदान करेगी: -

1.4.1 उपभोज्य को छोड़कर दोषपूर्ण पुर्जों को बदलना। प्रतिस्थापित किए गए पुर्जे या तो नए पुर्जे होंगे या नए पुर्जे के प्रदर्शन के समकक्ष भाग होंगे। एक दोषपूर्ण हिस्से को बदला जाना है या उसकी मरम्मत की जानी है, इसे फर्म के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा,यानि सिस्टम से हटाए गए किसी भी दोषपूर्ण हिस्से को नए के साथ बदलने का निर्णय फर्म द्वारा लिया जाएगा।

1.4.2 हर तीन महीने में एक बार अनुसूचित निवारक रखरखाव ।

1.4.3 उपकरण की खराबी के मामले में रिपोर्टिंग के 72 घंटे के भीतर ठीक न होने पर स्टैंड-बायउपकरण का प्रावधान।यदि फर्म समान या उच्चतर विशिष्टताओं के स्टैंड-बायउपकरण प्रदान करने में विफल रहती है तो फर्म से विभिन्न उपकरणों के लिए नीचे दी गई दरों पर वसूली की जाएगी।

क्र.सं.	**उपकरण का विवरण**	**प्रति दिन वसूली की दर**
1	प्रिंटर, वाईफाई, स्विच,	रु. 100/-
2	कंप्यूटर, ऑल इन वन, लैपटॉप	रु. 300/-
3	यूपीएस	रु. 50/-
4	सर्वर, स्टोरेज, फायरवॉल	रु. 400/-

2°<u>नियम और शर्तें</u>

फर्म विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस, नई दिल्ली में सिस्टम को रखरखाव सेवा प्रदान करेगी।

2.1 रखरखाव सेवा हार्डवेयर के साथ-साथ वायरस के कारण उत्पन्न होने वाली सॉफ़्टवेयर समस्याओं को भी कवर करेगी।

2.2 फर्म इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सिस्टम के लिए ऑन कॉल सेवा देगी।

2.3 "इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के रूप में रुपए 13,007/- (तेरह हजार सात रुपयेकेवल) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मूल हार्ड कॉपी भी अलग से एक सीलबंद में जमा करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर बोलियोंपर विचार नहीं किया जाएगा।

2.4 फर्म आईसीडब्ल्यूए, दिल्ली में सभी कार्य दिवसों में सुबह 09.00 बजे से शाम 05.30 बजे तक "1 सेवा अभियंता" की सेवा प्रदान करेगी और सिस्टम को चालू स्थिति में रखेगी। सेवा अभियंता अन्य कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों को

स्थानांतरित करने / स्थापित करने में भी सहायता करेंगे जो इस विभाग में एएमसी में नहीं हैं। सेवा इंजीनियरों को, किसी भी मामले में, सक्षम सरकारीप्राधिकरण द्वाराअपेक्षित योग्यता/कौशल के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

2.5 फर्म को अपने सेवा अभियंता को रोजाना आईसीडब्ल्यूए मे सुबह 09.00 बजे से शाम 05.30 बजे तक के लिए भेजना होगा।फ़र्म द्वारा उपर पैरा 2.5 के अनुसार "सेवा अभियंता" की सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने पर प्रति दिन रु. 500/- की दर से दंड लगाया जाएगा।

2.6 फर्म मरम्मत के लिए आवश्यक सभी स्पेयर पार्ट्स (उपभोज्य, हार्ड डिस्क, यूपीएस बैटरी और प्रिंटर हेड आदि के अलावा) की आपूर्ति करेगी। यदि हार्डवेयर के पुर्जों को बदलने की आवश्यकता है तो उचित बिल प्रस्तुत करने पर उनके शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2.7 रखरखाव और मरम्मत में प्रत्येक मामले में वैट को छोड़कर 1500/- रुपये के मूल्य तक जब भी आवश्यक हो, पुर्जों का प्रतिस्थापन शामिल होगा। हालांकि, यह उपभोग्य सामग्रियों पर लागू नहीं होगा। 1500/- रुपये का मानदंड प्रत्येक वस्तु (माउस, की बोर्ड, बिजली आपूर्ति इकाई, पैच केबल, आरजे-45 कनेक्टरआदि) पर लागू होगा, भले ही किसी एकल इकाई/प्रणाली की मरम्मत के लिए एक से अधिक मदों की आवश्यकता हो। यह उन वस्तुओं की मरम्मत/प्रतिस्थापन पर भी लागू होगा जो वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त/जली हो सकती हैं। दोषपूर्ण उपकरण/वस्तु/भाग को उसी विनिर्देशन के उपकरण/वस्तु/भाग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और यदि ये उपलब्ध नहीं हैं, तो परिषद को स्वीकार्य उच्च विनिर्देशन वाले से स्थापित करना होगा। किसी भी स्थिति में खराब उपकरण/वस्तु/भाग को पुराने पुर्जों से नहीं बदला जाएगा। खराब उपकरण/वस्तु/भाग में से जो भी बदले गए हैं, उसका विवरण रखरखाव रिकॉर्ड में निर्दिष्ट किया जाएगा।

2.8भौतिक रूप से क्षति, खराब हुए,टूट-फूट, गलत प्रबंधन, लापरवाही, कोई भी उपभोज्य, डेटा रिकवरी, प्राकृतिक आपदा, एएमसी के अंतर्गत कवर नहीं होगी। फर्म सिस्टम के रखरखाव के लिए आवश्यक सामान्य उपकरण और परीक्षण उपकरण प्रदान करेगी।

2.9 वार्षिक रखरखाव शुल्क का भुगतान त्रैमासिक रूप से समान किश्तों में रखरखाव अवधि (तीन महीने) की समाप्ति के पश्चात यथा लागू दंड की वसूली के बादकिया जाएगा।

2.10कोई भी भुगतान करने से पहले,स्रोत पर आयकर/टीडीएस और जीएसटी जैसा लागू हो, बिलों से काट लिया जाएगा।

2.11 सफल बोलीदाता की बयाना राशि उसकी बोली की स्वीकृति पर स्वतः ही सुरक्षा जमा में परिवर्तित हो जाएगी। एक वर्ष/विस्तार अवधि यदि कोई हो, के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के संतोषजनक समापन के बाद सुरक्षा राशि वापस कर दी जाएगी।

2.12 एएमसी अवधि पूरी होने पर सभी उपकरण चालू हालत में होने चाहिए। यदि कोई उपकरण फर्म द्वारा ठीक नहीं किया जाता है, तो इसे फर्म के जोखिम और लागत पर अन्य एजेंसी से मरम्मत करवाई जाएगी।

2.13 प्रभारी अभियंता को एजेंसी को पूर्व सूचना दिए बिना रखरखाव अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी वस्तु/वस्तुओं को कम करने/बढ़ाने/हटाने का अधिकार है।

इस अनुबंध में कंप्यूटर की नेटवर्किंग का रखरखाव भी शामिल है जो आईसीडब्ल्यूए में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

3.0 पात्रता मापदंड

3.1बोलीदाता के पास आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रखरखाव और सुविधा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

3.2एजेंसी के पंजीकरणका प्रमाण पत्र, निगमन, पैन, एनएसआईसी प्रमाण पत्र/उसी प्रबंधन के अंतर्गत अन्य फर्मों के विवरण आदि के प्रमाण पत्र की प्रति।

3.3पिछले तीन वर्षों के आयकर/सेवा कर फाइलिंग की प्रति।

3.4बोलीदाता के पास एचपी, डेल, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को में से कम से कम किन्हीं दो ब्रांडों के लिए जेम व्यवसाय के लिए अधिकृत भागीदार होना चाहिए।

3.5 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक कारोबार 2 करोड़ से अधिक होना चाहिए।

3.6 फर्म को एमएसएमई, ईएसआईसी और ईपीएफओ प्राधिकारियों के साथ विधिवत पंजीकृत होना चाहिए।

3.7फर्म के पास पिछले 2 वर्षों के लिए कंपनी पे रोल पर कम से कम 20 इंजीनियर होने चाहिए।

3°8पिछले 3 वर्षों के लिए इसी तरह के अनुबंध के संतोषजनक प्रदर्शन के संबंध में कम से कम पांच सरकारी/अर्ध-सरकारीसंगठन / बैंक से प्रशंसापत्र।

3.9 साइट इंजीनियर के लिए उद्धृत दरें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए। बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी से अधिक बोली लगाने के लिए स्वतंत्र है ताकि वह अनुबंध/एनआईटी के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित कर सके, यदि वह ऐसा चाहता है। सांकेतिक न्यूनतम मजदूरी 01.10.2020से प्रभावी होनी चाहिए ।

3.10 बोलीदाता इस दावे के समर्थन में एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि फर्म को पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी संगठन/सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

3.11 फर्म के पास जेम पोर्टल के माध्यम से एकल कार्य आदेश में कम से कम 100 कंप्यूटरों या अधिक की संख्या के लिए एएमसी होना चाहिएऔर कंप्यूटरों की संख्या के साथ ग्राहकों के विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

3.12 साइट इंजीनियर (1 संख्या) की योग्यता होनी चाहिए: बी.ई./बी.टेक/बीसीए/सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में 3 साल का पूर्णकालिक डिप्लोमाऔर आईटी उपकरण रखरखाव सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ। इंजीनियर का बायोडाटा संलग्न करनाआवश्यक होगा।

नोट: उपरोक्त पात्रता मानदंड में उल्लिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली दस्तावेजों के साथ अपलोड किए जाने चाहिए, ऐसा न करने पर बोली दस्तावेज को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

संपत्तियों की सूची

मद विवरण	**मात्रा**
कंप्यूटर पीसी	69
ऑल-इन-वन	5
लैपटॉप	6
एमएफएम रंग	4
एमएफएम मोनो	2
कंप्यूटर प्रिंटर	52
यूपीएस 1 केवीए (ऑफलाइन)	45
यूपीएस 5 केवीए (ऑनलाइन)	2
स्कैनर	3
सर्वर	2
वायरलेस ब्रिज	3
भंडारण	1
स्विच	17
फ़ायरवॉल	1
तकनीकी जनशक्ति	1

निविदा दस्तावेज निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ऐसा न करने पर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी:-

01. कंपनी को आईटी सुरक्षा सेवाओं के लिए आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 20000-2011: 2005, और 27000-1:2005 या उच्चतर प्रमाणित होना चाहिए।

02. फर्म को 5 वर्षों से अधिक समय से व्यापार में होना चाहिए, जिसमे 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रति वर्ष 25 लाख रुपए से अधिक हो और पिछले 3 वर्षों के भीतर निष्पादित एएमसी के आदेश की प्रतियों के साथ ग्राहक की सूची।

03. पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट जो यह दर्शाती हो कि बोली लगाने वाले का न्यूनतम वार्षिक कारोबार कम से कम 2 करोड़रुपए है ।

04. फर्म के पास आईटी हार्डवेयर उपकरणों और समस्या निवारण में विशेषज्ञता और अनुभव भी होना चाहिए। बोलीदाता ने कम से कम दो वर्षों के लिए लगातार लिनक्स / विंडोज वातावरण के अंतर्गत लैन से जुड़े 100 से अधिक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टोरेज आदि का न्यूनतम एक वार्षिक रखरखाव अनुबंध संतोषजनक ढंग से निष्पादित किया हो।

05. ग्राहकों (केवल सरकारी विभाग, पीएसयू)द्वारा जारी ग्राहक संतोषजनक प्रमाण पत्र (कम से कम 03 प्रतियाँ)

****